निबंधन संख्या पी0टी0-40

# बिहार गजट

## असाधारण अंक

## बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

**12 आषाढ़ 1936 (शo)**

**(सं0 पटना 561) पटना, वृहस्पतिवार, 3 जुलाई 2014**

जल संसाधन विभाग

————————

**अधिसूचना**

**13 मई 2014**

सं0 22/नि0सि0(भाग0)–मुक0–09–13/12/549––श्री शैलेन्द्र कुमार, तत्कालीन अवर प्रमण्डल पदाधिकारी (सहायक अभियंता), सिंचाई अवर प्रमंडल सं0–3, दरखा प्रतिनियुक्त बाढ़ एवं सिचांई कोषांग, मुख्य अभियंता का कार्यालय, जल संसाधन विभाग, भागलपुर को मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, भागलपुर के बेतार संवाद एन0 आर0 एन0 01 दिनांक 19.08.2012 के द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन के आधार पर आदेश की अवहेलना करने, कार्य के प्रति लापरवाही बरतने, अपने कार्यालय से बगैर अनुमति के अनुपस्थित रहने आदि आरोपों के लिए सरकार के स्तर पर लिए गये निर्णय के आलोक में विभगीय अधिसूचना संख्या–1329 दिनांक 30.11.2012 द्वारा निलंबित करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–338 दिनांक 13.03.2013 द्वारा विहित प्रपत्र में आरोप पत्र गठित करते हुए निम्नांकित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया :–

(i) विभागीय पत्रांक–619 दिनांक 06.02.2012 द्वारा श्री कुमार को सिंचाई प्रमंडल, बौसी से स्थानान्तरित कर सिंचाई प्रमंडल, दरखा शिविर पकड़ीबरावाँ के अधीन सिंचाई अवर प्रमंडल सं0–3, दरखा में योगदान करने के उपरान्त इनके द्वारा कार्य में अभिरूचि लेने के बजाय इनके पत्रांक–शून्य दिनांक 10.07.2012 एवं 06.08.2012 द्वारा सिंचाई प्रमडल, दरखा के उपयोगिता पर ही प्रश्न उठाया जाने लगा एवं अनावश्यक रूप से कर्मचारी/संसाधन की माँग किया जाने लगा।

(ii) वर्ष 2012 के बाढ़ अवधि में बाढ़ एवं सिंचाई कोषांग के संचालन हेतु इनकी प्रतिनियुक्ति मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, भागलपुर के कार्यालय आदेश पत्रांक–2787 दिनांक 09.08.2012 द्वारा मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, भागलपुर के कार्यालय में किया गया जिसके आलोक में सिंचाई प्रमंडल, दरखा शिविर पकड़ीबरावाँ से विरमित होकर इनके द्वारा दिनांक 18.08.2012 को प्रतिनियुक्त कार्यालय में योगदान समर्पित किया गया परन्तु सिंचाई कोषांग के कार्यो में अभिरूचि नहीं लेकर इनके द्वारा पत्रांक–शून्य दिनांक 21.08.2012 एवं 23.08.2012 द्वारा अनावश्यक पत्राचार किया जाता रहा। इनके द्वारा अनावश्यक पत्राचार कर सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने तथा उच्चाधिकारियों के आदेश का अनुपालन नहीं करने के लिए मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, भागलपुर के पत्रांक–2939 दिनांक 27.08.2012 द्वारा इनसे स्पष्टीकरण किया गया एवं मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, भागलपुर के पत्रांक–3091 दिनांक 05.09.2012 द्वारा इनके स्पष्टीकरण के उत्तर दिनांक 31.08.2012 की छायाप्रति प्रेषित करते हुए

इनके स्पष्टीकरण को अमान्य करने का मंतव्य दिया गया। श्री जनार्दन मांझी, सदस्य बिहार विधान सभा, अमरपुर (बाँका) के पत्रांक–शून्य दिनांक 30.12.2011 द्वारा भी इनके विरूद्ध अपने कार्य में अभिरूचि नहीं लेकर दूसरे विभाग के कार्यो में ज्यादा अभिरूचि लेने का आरोप लगाया गया। इस प्रकार ये अनुशासनहीनता अपने उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना करने एवं सरकारी कार्यो में बाधा उत्पन्न करने के लिए प्रथम द्रष्टया दोषी पाये गये है।

(iii) प्राक्कलन पदाधिकारी, सिंचाई प्रमंडल, बौंसी के पदस्थान काल में इनके नाम पर अस्थायी अग्रिम रूपये 3,19,494.15/– (तीन लाख उन्नीस हजार चार सौ चौरान्वे रूपये पन्द्रह पैसे मात्र) तथा मिसलेनियस पी0 डब्लू0 अग्रिम रूपये 9,21,408/–(नौ लाख इक्कीस हजार चार सौ आठ रूपये मात्र) लम्बित है। साथ ही सरकारी राजस्व की राशि रूपये 8,592/– (आठ हजार पॉच सौ बेरान्वे रूपये मात्र) को भी इनके द्वारा सरकारी खजाने में जमा नहीं किया गया है, जिसके लिए ये प्रथम द्रष्टया दोषी है।

2. श्री शैलेन्द कुमार द्वारा विभागीय निलंबन अधिसूचना संख्या–1329 दिनांक 30.11.2012 के विरूद्ध माननीय पटना उच्च न्यायालय में दायर समादेश याचिका, सी0 डब्लू0 जे0 सी0 सं0–493/2013 के मामले में माननीय, पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 01.05.2013 को पारित न्याय निर्णय के आलोक में विभागीय पत्रांक–733 दिनांक–26.06.2013 द्वारा श्री शैलेन्द्र कुमार, सहायक अभियंता (निलंबित) के जीवन निर्वाह भत्ता के भुगतान के सम्बन्ध में अनुपालन प्रतिवेदन की माँग मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, पटना से किया गया एवं विभागीय पत्रांक–734 दिनांक 26.06.2013 द्वारा संचालन पदाधिकारी को समय सीमा के अन्दर जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने का आग्रह किया गया।

3. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–2501 दिनांक 03.08.2013 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा विभाग के स्तर पर की गयी एवं सम्यक् समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन भ्रामक एवं स्पष्ट नहीं रहने के कारण विभागीय पत्रांक–1064 दिनांक 05.09.2013 द्वारा आरोप सं0–2 एवं आरोपी द्वारा लिये गये अग्रिम के बारे में स्पष्ट प्रतिवेदन की माँग उनसे की गयी तथा विभागीय पत्रांक–1067 दिनांक–06.07.2013 द्वारा आरोपी श्री शैलेन्द्र कुमार के विरूद्ध दर्शाये गये रूपये 9,30,000/–(नौ लाख तीस हजार रूपये मात्र) के अग्रिम को विविध ज0 कार्य अग्रिम (Misc. P.W. Advance) में परिवर्तित करने से संबंधित विवरण संचालन पदाधिकारी एवं विभाग को उपलब्ध कराने हेतु कार्यपालक अभियंता, सिचांई प्रमंडल, बौंसी को निदेशित किया गया।

4. विभागीय पत्रांक–1064 दिनांक 05.09.2013 के आलोक में संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–2973 दिनांक 18.09.2013 द्वारा समर्पित मंतव्य एवं विभागीय पत्रांक–1067 दिनांक 06.07.2013 के आलोक में कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल बौंसी के पत्रांक–1066 दिनांक 23.10.2013 द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के समीक्षा के क्रम में विभागीय पत्रांक–1415 दिनांक 26.11.2013 द्वारा कार्यपालक अभियंता, सिचांई प्रमंडल, बौंसी को विविध लोक निर्माण अग्रिम में कटौती की राशि 9,21,408/–(नौ लाख इक्कीस हजार चार सौ आठ रूपये मात्र) रूपये का नियमानुसार निराकरण कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने तथा विभागीय पत्रांक–1417 दिनांक–27.11.2013 द्वारा अधीक्षण अभियंता, सिचाई अंचल, भागलपुर/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, भागलपुर को विविध लोक निर्माण अग्रिम में कटौती की राशि रूपये 9,21,408/–(नौ लाख इक्कीस हजार चार सौ आठ रूपये मात्र) रूपये का निराकरण कर अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया एवं विभागीय पत्रांक–1418 दिनांक 27.11.2013 द्वारा श्री शैलेन्द कुमार, सहायक अभियंता (निलंबित) से जाँच प्रतिवेदन से निम्नांकित सहमति/असहमति के बिन्दुओं पर द्वितीय कारण पृच्छा किया गया :–

(i) विभगीय पत्रांक–1207 दिनांक 30.09.2013 के आलोक में कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, बौंसी के पत्रांक–1066 दिनांक 23.10.2013 द्वारा विविध लोक निर्माण में रखी गयी राशि मात्र 9,21,408/–(नौ लाख इक्कीस हजार चार सौ आठ रूपये मात्र) रूपये के अब तक समायोजन नहीं होने का उल्लेख है जिसके लिए आरोपी के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के मामले में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में भी लेखा संहिता के प्रावधानों का पूर्णतः अनुपालन नहीं होने की हद तक आरोपी के विरूद्ध प्रमाणित पाया गया है।

(ii) संचालन पदाधिकारी का प्रतिवेदन पूर्णतः भ्रामक है। आरोपी के विरूद्ध गठित आरोप सं0–2 के संबंध में जो भी तथ्य उपलब्ध है उससे उक्त आरोप, आरोपी के विरूद्ध प्रमाणित होता है। आई0 वी0 में कमरा नहीं मिलने पर कर्त्तव्य से अनुपस्थित होना मान्य नहीं हो सकता है।

5. विभगीय पत्रांक–1418 दिनांक 27.11.2013 के आलोक में श्री शैलेन्द कुमार, सहायक अभियंता (निलंबित) द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर दिनांक 02.12.2013 की समीक्षा पुनः विभाग के स्तर पर किया गया एवं समीक्षोपरान्त निम्नांकित तथ्य पाये गये :–

(i) इनके द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर में कोई नया तथ्य नहीं दिया गया है बल्कि उन्हीं तथ्यों को बढ़ा–चढ़ाकर रखा गया है जो तथ्य इनके द्वारा विभागीय कार्यवाही के संचालन में संचालन पदाधिकारी के समक्ष रखा गया था।

(ii) इनके द्वारा अपने द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर में स्वयं स्वीकार किया गया है कि ''इनका पदस्थापन सिंचाई प्रमंडल, दरखा, शिविर पकड़ीबरावाँ अर्न्तगत सिंचाई अवर प्रमंडल सं0–3, दरखा में था। चूँकि सिंचाई अवर प्रमंडल सं0–3, दरखा का धरातल पर कोई अस्तित्व नहीं था इस कारण ये पकडीबरावाँ (नवादा) मे ही रहा करते थे जिसकी दूरी मुख्य अभिंयता का कार्यालय, जल संसाधन विभाग, भागलपुर (प्रतिनियुक्ति स्तर) से लगभग 170 कि0मी0 थी। किसी नये जगह में मकान खोजने एवं शिफ्ट होने में समय लगता है।''

(iii) इनके द्वारा अपने द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर में यह भी स्वीकार किया गया है कि आई0 बी0 में कमरा के लिए इनके द्वारा अनुरोध किया था परन्तु आई0 बी0 में कमरा नहीं मिला।

6. उपर्युक्त तथ्यों से यह प्रमाणित होता है कि कार्यस्थल से 170 कि0मी0 दूर रहने और आई0 बी0 में कमरा नहीं मिलने के काण ये कार्य में अभिरूचि नहीं लेते थे। अतएव दण्ड अधिरोपित करने से पूर्व इनसे विभागीय पत्रांक–88 दिनांक 20.01.2014 द्वारा निलंबित अवधि के वेतन भत्ता की अनुमान्यता एवं सेवा निरूपण के संबध में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 11 (5) के तहत नोटिस निर्गत किया गया । इस बीच में उनके द्वारा दायर एम0 जे0 सी0 संख्या–6008/2013, शैलेन्द्र कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य के मामले में दिनांक 08.01.2014 को माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित करते हुए दिनांक 29.01.2014 तक वादी श्री शैलेन्द्र कुमार के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के मामले में अन्तिम आदेश पारित करने का निर्देश देते हुए उक्त अवमाननावाद को निष्पादित किया गया।

7. माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा एम0 जे0 सी0 संख्या–6008/2013, शैलेन्द्र कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य के मामले में दिनांक 08.01.2014 को पारित न्याय निर्णय एवं अधीक्षण अभियंता, सिचांई अंचल, भागलपुर के पत्रांक–2086 दिनांक 26.12.2013 द्वार प्रेषित सूचना के आलोक में मामले की समीक्षा विभाग के स्तर पर किया गया एवं विभागीय निर्णयानुसार विभागीय पत्रांक–139 दिनांक 28.01.2014 द्वारा प्रधान अपर महाधिवक्ता, महाधिवक्ता का कार्यालय, पटना उच्च न्यायालय से दिनांक 08.01.2014 को पारित आदेश के अनुपालन हेतु दो माह का अतिरिक्त समय देने का अनुरोध माननीय पटना उच्च न्यायालय से करने का आग्रह किया गया तथा श्री शैलेन्द कुमार, सहायक अभियंता (निलंबित) के विरूद्ध गठित आरोप पत्र प्रपत्र 'क' की कंडिका–3 के निराकरण हेतु संचालन पदाधिकारी को संबंधित प्रमंडलीय कार्यालय में उपस्थित होकर समायोजन सम्बन्धी प्रतिवेदन प्राप्त कर स्पष्ट मंतव्य देने का निदेश विभागीय पत्रांक–143 दिनांक 29.01.2014 द्वारा दिया गया कि प्राक्कलन पदाधिकारी, सिंचाई प्रमंडल, बौंसी के पदस्थापन काल में श्री शैलेन्द्र कुमार के नाम पर लंबित मिसलेनियस पी0 डब्लू0 अग्रिम रूपयें 9,21,408/–(नौ लाख इक्कीस हजार चार सौ आठ रूपये मात्र) तथा सरकारी राजस्व की राशि रूपये 8,592/– (आठ हजार पॉच सौ बेरान्वे रूपये मात्र) जो इनके द्वारा सरकारी खजाने में जमा नहीं दिया गया है इनसे वसूलनीय है अथवा नहीं एवं उक्त पत्र की प्रतिलिपि मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, भागलपुर तथा कार्यपालक अभियंता ,सिंचाई प्रमंडल, बौसी को समायोजन संबंधी प्रतिवेदन संचालन पदाधिकारी को उपलब्ध कराने हेतु निदेशित करने हेतु दिया गया एवं इसकी सूचना आरोपी सहायक अभियंता (निलंबित) को भी समुचित सहयोग करने के लिए दिया गया।

8. इस बीच में श्री शैलेन्द्र कुमार सहायक अभियंता,(निलंबित) द्वारा विभागीय पत्रांक–88 दिनांक–20.01.2014 के आलोक में निलंबन अवधि के सेवा निरूपण तथा वेतन भत्ता की अनुमान्यता के सम्बंध में अपना अभ्यावेदन पत्रांक–शून्य दिनांक 23.01.2014 द्वारा उपलब्ध कराया गया जिसमें इनके द्वारा आरोप पत्र के गठन, आरोप पत्र के अनुमोदन साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने आदि बिन्दुओं का उल्लेख करते हुए निलंबन अवधि का पूर्ण वेतन भत्ता देने तथा निलंबन अवधि को कर्तव्य माने जाने का अनुरोध किया गया।

9. विभागीय पत्रांक–143 दिनांक 29.01.2014 के आलोक में संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–520 दिनांक 15.02.2014 द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन में निम्नांकित मंतव्य दिया गया :–

(i) श्री शैलेन्द्र कुमार के नाम से विविध जन कार्य में भारित राशि रूपये 9,21,408/–(नौ लाख इक्कीस हजार चार सौ आठ रूपये मात्र) के पारित प्रमाणकों पर अलग–अलग नाम से एक ही व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किये जाने की शंका के मद्देनजर कार्यपालक अभिंयता, सिंचाई प्रमंडल, बौसी के पत्रांक–59 दिनांक 18.01.2014 द्वारा निदेशक पुलिस प्रयोगशाला, अपराध अनुसंधान विभाग, बेली रोड, पटना को हस्ताक्षर नमूना के जॉच के क्रम में अपनायी जाने वाली सम्पूर्ण प्रक्रिया से अवगत कराने का अनुरोध किया गया है। अतएव हस्ताक्षर जॉच प्रतिवेदन के आधार पर ही निर्णय लेना श्रेयस्कर होगा कि विविध निर्माण कार्य अग्रिम रूपये 9,21,408/–(नौ लाख इक्कीस हजार चार सौ आठ रूपये मात्र) श्री शैलेन्द्र कुमार से वसूलनीय है अथवा नहीं।

(ii) सरकारी राजस्व की राशि रूपये 8,592/– (आठ हजार पॉच सौ बेरान्वे रूपये मात्र) इनके प्रतिस्थानी के द्वारा प्रमंडलीय कार्यालय में जमा करा दिये जाने क कारण यह राशि श्री शैलेन्द्र कुमार से वसूलनीय नहीं है।

10. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–520 दिनांक 15.02.2014 द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा पुनः विभाग के स्तर पर की गयी एवं समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि संचालन पदाधिकारी का प्रतिवेदन स्पष्ट नहीं है। फलतः विभागीय निर्णयानुसार कार्यपालक अभियंता सिंचाई प्रमंडल, बौसी के पत्रांक–59 दिनाक 18.01.2014 के क्रम में विभागीय पत्रांक–289 दिनांक 12.03.2014 द्वारा मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग, भागलपुर को हस्ताक्षर जॉच का कार्य सम्पन्न कराकर श्री शैलेन्द्र कुमार के नाम से विविध निर्माण कार्य अग्रिम रूपये 9,21,408/–(नौ लाख इक्कीस हजार चार सौ आठ रूपये मात्र) की राशि का निराकरण कर मंतव्य के साथ प्रतिवेदन की मॉग किया गया।

11. अर्द्धसरकारी पत्र संख्या–415 दिनांक 04.04.2014 द्वारा स्मारित किये जाने के उपरान्त मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग के पत्रांक–1144 दिनांक 07.04.2014 द्वारा अपेक्षित जॉच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया जिसमें निम्नांकित तथ्य अंकित है :–

(i) मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग द्वारा मामले की जॉच हेतु एक त्रिसदसीय कमिटि का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष श्री रामेश्वर चौधरी, अधीक्षण अभियंता, सिचांई अंचल संख्या–2 जमुई एवं श्री कपिलदेव राम, कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, गरही तथा श्री अरविन्द कुमार, कार्यपालक अभियंता, सिचांई प्रमंडल सं0–2 जमुई

उक्त कमिटि के सदस्य थे। उक्त कमिटि द्वारा गहन जाँच के उपरान्त पाया कि तत्कालीन प्राक्कलन पदाधिकारी, श्री शैलेन्द्र कुमार के द्वारा कराये गये कार्य का माह मार्च 2011 का अस्थायी अग्रिम रोकड़ लेखा दिनांक 31.03.2011 को प्रमंडल में समर्पित किया गया। तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, श्री सुनील कुमार द्वारा दिनांक 31.03.2011 को माह मार्च 2011 का अनुमंडलीय लेखा कुल 9,21,408/–(नौ लाख इक्कीस हजार चार सौ आठ रूपये मात्र) रूपये का लेखा पारित किया गया तथा उक्त राशि को समायोजित किया गया। कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल बौंसी के पत्रांक–307 दिनांक 20.04.2011 द्वारा मार्च 2011 के कर प्रमंडलीय लेखा महालेखाकार को भेजा गया जिसका प्राप्ति रसीद संख्या–050511 आई0 आर0 आर. 03036 दिनांक 05.05.2011 है। मार्च 2011 के प्रमंडलीय मासिक लेखा में 9,21,408/–(नौ लाख इक्कीस हजार चार सौ आठ रूपये मात्र) रूपये को मिसलेनियस पी0 डब्लू0 अग्रिम में अंकित किया गया, जो बिहार लोक लेखा संहिता के नियम 100 के प्रावधान एवं निगरानी विभाग के पत्र संख्या–नि0/4–24/092–4053 (एस0) अनु0 दिनांक 31.07.92 के पारा–3 के निदेश संख्या–6 के अनुकूल नहीं किया गया।

इसी बीच श्री शैलेन्द्र कुमार, सहायक अभियंता एवं श्री सुनील कुमार, कार्यपालक अभियंता का स्थानांतरण हो गया तथा चौथे कार्यपालक अभियंता, श्री नवल किशोर प्रसाद के पत्रांक–814 दिनांक 20.10.2012 के द्वारा लगभग डेढ़ वर्ष बाद श्री शैलेन्द्र कुमार को विविध जन कार्य अग्रिम में रखे जाने की सूचना आपति के साथ दिया गया। पुनः कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, बौंसी के पत्रांक–1036 दिनांक 08.10.2013 द्वारा मुख्य अभियंता–सह–अपीलीय प्राधिकार, जल संसाधन विभाग, भागलपुर को मात्र 8,592/– (आठ हजार पॉच सौ बेरान्वे रूपये मात्र) रूपये रॉयल्टी मद में जमा कराने की सूचना दी गयी।

कमिटि का मानना है कि तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, सुनील कुमार के द्वारा श्री शैलेन्द्र कुमार, तत्कालीन प्राक्कलन पदाधिकारी, सिंचाई प्रमंडल, बौंसी के द्वारा कराये गये कार्यो के समर्पित प्रमाणको को दिनांक 31.03.2011 को ही विधिवत एवं संतुष्ट होकर पारित होने के पश्चात उठाये गये आपत्तियों का कोई औचित्व नहीं रह जाता है। अनुमंडलीय लेखा के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि लेखा को पारित करते हुए राशि 9,21,408/–(नौ लाख इक्कीस हजार चार सौ आठ रूपये मात्र) रूपये को समायोजित किया गया।

महालेखाकार, बिहार, पटना को प्रेषित माह मार्च 2011 के मासिक लेखा के अवलोकन से कमिटि को ज्ञात हुआ है कि प्रपत्र में 9,21,408/–(नौ लाख इक्कीस हजार चार सौ आठ रूपये मात्र) रूपये की राशि को शीर्ष 4711 में व्यय दिखाया गया है एवं महालेखाकार को समर्पित लेखा के संस्पेंस शीर्ष विपत्र पर श्री सुनील कुमार, कार्यपालक अभियंता एवं प्रमंडलीय लेखापाल का हस्ताक्षर है, में मिसलेनियस पी0 डब्लू0 अग्रिम को शून्य दर्शाया गया है एवं 9,30,000.00 (नौ लाख तीस हजार रूपये मात्र) व्यय दर्शाया गया जबकि मिसलेनियस पी0 डब्लू0 अग्रिम प्रपत्र पर केवल कार्यपालक अभियंता का हस्ताक्षर है परन्तु प्रमंडलीय लेखापाल का उस पर हस्ताक्षर नहीं है जो विरोधाभाषी है।

उक्त जाँच प्रतिवेदन पर मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, भागलपुर द्वारा अपना मंतव्य/निष्कर्ष दिया गया है कि पारित प्रमाणकों के विरूद्ध अग्रिम देकर उसे समायोजित करने के बाद मिसलेनियस पी0 डब्लू अग्रिम में लंबित रखने की कार्रवाई बिल्कुल ही नियम के विरूद्ध एवं एक सोची समझी साजिश के तहत की गयी कार्रवाई तथा अभिलेखों से छेड़–छाड़ का मामला प्रतीत होता है।

12. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, भागलपुर से प्राप्त उक्त जाँच प्रतिवेदन के उपरान्त समस्त मामले की सम्यक समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी एवं समीक्षोपरान्त पाया गया कि संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा के क्रम में संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से असहमत होते हुए पुनः संचालन पदाधिकारी एवं मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, भागलपुर से स्पष्ट प्रतिवेदन की मॉग करने के क्रम में श्री शैलेन्द्र कुमार, सहायक अभियंता (निलंबित) से द्वितीय कारण पृच्छा किया गया। श्री कुमार से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर एवं निलंबन अवधि के वेतन भत्ता के सम्बन्ध में निर्गत नोटिस तथा उनसे प्राप्त अभ्यावेदन में कोई नया तथ्य नहीं रहने के कारण और मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, भागलपुर से प्राप्त प्रतिवेदन के उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुँचा गया है कि तत्कालीन कार्यपालक अभियंता , सिंचाई प्रमंडल, बौसी श्री सुनील कुमार द्वारा एक सोची समझी साजिश के तहत दुर्भावना से ग्रसित होकर 9,30,000.00 (नौ लाख तीस हजार रूपये मात्र) रूपये जो समायोजित था को मिसलेनियस पी0 डब्लू0 अग्रिम लिखकर दिगभ्रमित किया गया। इस प्रकार आरोप संख्या–3 मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, भागलपुर के प्रतिवेदन में श्री शैलेन्द्र कुमार, सहायक अभियंता (निलंबित) कि विरूद्ध प्रमाणित नहीं पाया गया परन्तु श्री कुमार द्वारा सिचांई अवर प्रमंडल सं0–3 दरखा में योगदान करने के उपरान्त कार्य में अभिरूचि लेने के बजाय पत्रांक–शून्य दिनांक 10.07.2012 एवं 06.08.2012 द्वारा सिचांई प्रमंडल, दरखा के उपयोगिता पर प्रश्न चिन्ह उठाना तथा आई0 बी0 में जगह नहीं मिलने के कारण कार्य में शिथिलता बरते जाने एवं उच्चाधिकारियों के आदेशों का अनुपालन नहीं करने आदि के लिए उनको दोषी माना गया है।

13. फलस्वरूप उक्त प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए श्री शैलेन्द्र कुमार, सहायक अभियंता (निलंबित) को निम्नांकित दण्ड अधिरोपित करते हुए निलंबन से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है :–

(i) असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक।

(ii) निलंबन अवधि के लिय देय पावनाओं का निर्धारण अलग से निर्णय लेकर किया जायगा। उक्त निर्णय पर माननीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

14. उक्त निर्णय के आलोक में श्री शैलेन्द्र कुमार, सहायक अभियंता (निलंबित) को निम्नाकिंत दण्ड देते हुए निलंबन से मुक्त किया जाता है :–

(i) असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक।

(ii) निलंबन अवधि के लिय देय पावनाओं का निर्धारण अलग से निर्णय लेकर किया जायगा।

श्री कुमार को निदेश दिया जाता है कि वे मुख्यालय स्थित अपने कार्यालय में योगदान समर्पित करें।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
मोहन पासवान,
सरकार के अवर सचिव।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) **561**-571+10-डी0टी0पी0।
**Website: http://egazette.bih.nic.in**